तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
08/7/2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। वादीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल मिसल की। संक्षेप में विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 RTA विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त [illegible] की गत भूप्रबन्ध के आ. नं. 185/36 क रकबा 3 बीघा भूमि वादी को विधिवत रूप से आवंटित होकर अधिपत्य प्राप्त हुआ, तभी से वादी इस भूमि पर लगातार काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। वादी ही इस भूमि का एक मात्र पूर्ण वैध रूप से मालिक काबिज व खातेदार है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त आराजी के नये आ. नं. 59 रकबा 0.14 हे. व आ. नं. 60 रकबा 0.52 कुल 2 रकबा 0.66 हे. बनाये और इसमें से भूप्रबन्ध विभाग वालों ने वादी के नाम पर मात्र आ. नं. 60 रकबा 0.52 हे. ही दर्ज किए और शेष आ. नं. 59 रकबा 0.14 हे. भूमि को प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर अवैधानिक रूप से गैर खातेदारी हक से दर्ज कर दी जबकि वादी की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि के नये नाप में रकबा 0.66 हे. बनता है, जिसके मुकाबले आ. नं. 60 रकबा 0.52 हे. दर्ज किया और इस प्रकार वादी के खाते में 0.14 हे. भूमि कम दर्ज की गयी है और यह कमी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर आ. नं. 59 रकबा 0.14 हे. अवैधानिक रूप से दर्ज कर दी है, जिस पर वादी का कब्जा .... लगातार

(वीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की तामी[illegible] में जारी हुए
ही शुरू से आज तक बराबर चला आ रहा है, और इस भूमि पर कभी भी प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा व काश्त नहीं रहा है। इस कारण वादी उक्त प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर अवैध रूप से दर्ज आ.नं. ~~खसरा~~ 59 रकबा 0.14 हे. को पुनः वादी अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषित करा रकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। आ.नं. 59 प्रतिवादी के नाम दर्ज होने से इसका अनुचित लाभ उठाकर उक्त भूमि को विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरण करने व वादी के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी करने पर उतारू है, जिससे प्रतिवादी संख्या 01 को ~~[illegible]~~ स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वाद हेतु दिनांक 15/5/2003 को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने से पैदा होकर निरन्तर जारी है। अन्त मे वादी ने निवेदन किया कि ग्राम चित्तौडी की आ.नं. 59 रकबा 0.14 हे. भूमि का वादी को खातेदार घोषित कर, रेकार्ड मे अंकन करावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 01 ग्राम चित्तौडी की आ.नं. 59 रकबा 0.14 हे. भूमि को विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरण नही करें और न ही वादी के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी करे और न जबरन कब्जा करे और न ही अन्य से ऐसा करावे। ......लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

AnyScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बाद सुनवाई वादी का वाद पत्र दिनांक 16.4.2005 को स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध वादी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के यहां अपील प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 77/2005/डिक्री में दिनांक 22.4.2009 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.4.2005 को यथावत रखा। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 77/2005/डिक्री मे. दिनांक 28.7.2011 को पारित निर्णय से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.4.2005 को निरस्त कर प्रकरण पुन: इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे आदेश 41 नियम 27 के आवेदन पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी के आदेश आदेश दिनांक 13.7.1982 आवेदन पत्र दिनांक 05.09.2002 पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.11.2002 एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा खातेदारी दी जाने बाबत आदेश दिनांक 26.12.2002 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के सन्दर्भ मे प्रकरण पुन: परीक्षण कर सुनवाई के पश्चात विधिसम्मत निर्णय पारित करें। प्रकरण पुन: दर्ज रजिस्टर किया जाकर ......लगातार (हस्ताक्षर) (दीपू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
उभय पक्षकारान को तलब किया गया। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रितेश दायमा ने तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री किशनलाल कुमावत ने उपस्थिति दी। वादी की मृत्यु हो जाने से वादी के वारिसान को वादी संख्या 1/1 व 1/2 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। वादीगण ने साक्ष्य में वादी 1/1 बालूराम PW1 तथा आनन्दसिंह पिता मदनसिंह राजपूत निवासी चित्तौड़ीखेड़ा PW2 बयान कराये। बालूराम द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054 मौजा चित्तौड़ी प्रदर्श 6, भूमि आवंटन अमलदरामद रजका दिनांक 13.7.1982 प्रदर्श 7, खातेदारी हक प्राप्त करने का आवेदन दिनांक 05/9/2002 प्रदर्श 8, उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा खातेदारी हक दिए जाने का आदेश दिनांक 26.12.2002 प्रदर्श 9 के रूप में प्रदर्शित कराए। साक्ष्य प्रतिवादीगण की स्टेज पर प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। हमने पत्रावली का अवलोकन/अध्ययन कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर गहनता से चिन्तन मनन किया। प्रदर्श 6 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054 अनुसार ग्राम चित्तौड़ी के खाता संख्या 81- आ. नं. 59 रकबा 0.14 हे. मदनसिंह पिता किशनसिंह राजपूत सा. देह गैर खातेदार एवं खाता संख्या 83- आराजी नम्बर 60 रकबा 0.52 हे. मांगीलाल पिता चतरभुज सुथार सा. देह गैर खातेदार .... लगातार (हस्ताक्षर) (सीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	